भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *296

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर का संग्रहण

*296. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के माध्यम से संग्रहीत की गई कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान पथकर दरों में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ईंधन की बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति के दृष्टिगत पथकर शुल्कों को तर्कसंगत बनाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना लागत की वसूली के बाद भी पथकर संग्रहण जारी रखे जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर का संग्रहण" के संबंध में श्री के. राधाकृष्णन द्वारा पूछे गए दिनांक 12.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *296 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के माध्यम से संग्रहित प्रयोक्ता शुल्क का विवरण निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण (करोड़ रु. में)
2020-21	27,926.67
2021-22	33,928.66
2022-23	48,032.40
2023-24	55,882.12
2024-25	61,408.15

(ख) थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी प्रयोक्ता शुल्क दरें, लागू शुल्क नियमों के अनुरूप वार्षिक रूप से संशोधित की जाती हैं।

(ग) सरकार ने समय-समय पर पथकर (टोल) नीति की समीक्षा की है, ताकि राजमार्ग विकास के लिए राजस्व आवश्यकताओं और सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ को कम करने के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। यथा संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008, प्रयोक्ता शुल्क लगाने और उसे वसूलने के लिए एक पारदर्शी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें दरें राजमार्ग की लंबाई और वाहन के प्रकार से जुड़ी होती हैं।

इसके अलावा, सड़क प्रयोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित संशोधनों के माध्यम से विभिन्न प्रावधान किए हैं:

(i) साकानि 437(अ), दिनांक 01.07.2025 द्वारा अधिक संरचना लंबाई वाले राजमार्गों के लिए प्रयोक्ता शुल्क को सीमित करना।

(ii) साकानि 01(अ), दिनांक 31.12.2025 द्वारा 2 लेन पेव्ड शोल्डर राजमार्ग का 4 या उससे अधिक लेन में उन्नयन करने की स्थिति में दरों को कम करना।

(iii) साकानि 388 (अ), दिनांक 17.06.2025 द्वारा गैर-व्यावसायिक कारों, जीपों और वैन के लिए वार्षिक पास शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 3000 रुपये (तीन हजार रुपये) के भुगतान पर

200 राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा क्रॉसिंग या एक वर्ष की वैधता, जो भी पहले हो, की सुविधा उपलब्ध है।

(iv) साकानि 734 (अ), दिनांक 03.10.2025 द्वारा बिना फास्टैग वाले वाहनों या सक्रिय फास्टैग वाले वाहनों के लिए लागू प्रयोक्ता शुल्क को 2 गुना से घटाकर 1.25 गुना कर दिया गया है, बशर्ते प्रयोक्ता यूपीआई के माध्यम से भुगतान के विकल्प का चयन करता है।

(v) साकानि 107 (अ), दिनांक 04.02.2026 द्वारा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे, जो इसकी अधिसूचित लंबाई के केवल एक भाग के लिए ही चालू है, के उपयोग के लिए देय शुल्क, लागू शुल्क के 1.25 गुना के बजाय एक गुना की दर से लगाया जाएगा।

(vi) मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग का कार्यान्वयन: सरकार ने मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है, जो एआई एनालिटिक्स के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) और आरएफआईडी-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (फास्टैग) सहित एकीकृत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बाधा रहित टोलिंग की सुविधा प्रदान करती है, जहां वाहन प्रयोक्ताओं से प्रयोक्ता शुल्क वाहन बिना रुके, धीमा किए या किसी दिए गए शुल्क प्लाजा लेन में ठहरे बगैर वसूला जाएगा।

(vii) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थानीय और नियमित प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क और मासिक पास में छूट के लिए पहले से ही विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण परियोजना विकास लागत की वसूली से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी शुल्क प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क भारत के राजपत्र में प्रकाशित संबंधित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) शुल्क नियमावली, 2008 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुरूप संग्रहित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, रियायत समझौते के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक रियायतग्राही द्वारा संग्रहित किया जाता है और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, शुल्क केंद्र सरकार या कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास, जैसा भी मामला हो, के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तिथि पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार संग्रहित की जाती है, जिसे वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से प्राप्त राजस्व भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता है और बजटीय आवंटन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के आगे के रखरखाव, विकास और संवर्धन के लिए किया जाता है।

*****